कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 07/05/2021

****जागरूक रहे, सुरक्षित रहे****

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा श्री ए0 सतीश गणेश पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय के नेतृत्व में एक अनूठी पहल **''जानकारी ही बचाव''** प्रारम्भ किया गया, इस पहल के प्रथम अंश में आज दो पम्पलेट E-Form & Hard Copy के रूप में जारी कर आमजनमानस को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे Digital Space & Digital Financial Transaction को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

❖ प्रथम पम्पलेट के माध्यम से E-Commerce Fraud से बचाव हेतु आमजनमानस को जागरूक करते हुये आवश्यक सुझाव दिये जाते हैः-

1- आनलाइन खरीदारी करते समय अपने पिन नम्बर एवं ओपीटी की जानकारी किसी को न दें तथा सावधानीपूर्वक इसका इस्तेमाल करें।

2- ऑनलाइन खरीदारी के लिये अग्रिम भुगतान करने से पहले विक्रेता का नाम व (CIN/TIN /GST) नम्बर की अवश्य जानकारी प्राप्त करें तदोपरान्त ही भुगतान करें।

3- सरकारी पोर्टल पर GST सत्यापित करें (वैध होना चाहिए और व्यावसायिक नाम के साथ मेल खाना चाहिए)।

4- ऑनलाइन खरीदारी अपने स्वयं के मोबाइल/कम्प्यूटर/लैपटाप से ही करें।

5- आर0बी0आई0 की गाईडलाइन के अनुसार किसी बैंक, संस्था द्वारा काल कर आपसे कार्ड नम्बर, सीवीवी पिन आदि के सम्बन्ध में नही पूछा जा सकता है, ऐसे फोन कॉल करने वालों से हमेशा सावधान रहें।

6- यदि आपको कोई फोन करके यह बताये कि वह किसी बैंक या आर0बी0आई से बोल रहा है और आपसे कहे कि आपका एटीएम कार्ड या आपका खाता ब्लॉक हो गया है तो

सावधान हो जाईये। वह आपसे आपका कार्ड नम्बर, पिन नम्बर इत्यादि जानकारी लेकर तुरन्त आपके खाते से रूपये निकाल लेगा।

7- किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथों में अपना एटीएम कार्ड न दें।

8- आपके साथ कोई फ्राड हो जाये तो उसकी जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन पर दे।

9- **वाराणसी पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है।**

❖ दूसरे पम्पलेट के माध्यम से **''कोविड आपदा के नाम पर ठगी''** से सावधानी/बचाव हेतु आमजनमानस को निम्न सुझाव दिये जाते है-

1- कोविड के नाम पर मददगार बनकर धोखा देने वालों से सावधान

2- फेसबुक, व्हाटस्एप्प या अन्य किसी मैसेन्जर पर किसी भी परिचित या मित्र द्वारा रूपये की मांग किये जाने पर बिना फोन काल कन्फर्म किये रूपये न भेजे।

3- ई0एम0आई0 में छूट देने के नाम ठगी।

4- मा0 प्रधानमन्त्री केयर फण्ड के नाम पर ठगी।

5- के0वाई0सी0 के नाम पर एस0एम0एस0 भेजकर ठगी।

6- प्रोमोकार्ड, रिवार्ड प्वाईण्ट रीडीम के नाम पर ठगी।

7- फर्जी हेल्प लाईन नम्बर के नाम पर ठगी।

8- रोजमर्रा के सामानों की आनलाईन डिलीवरी के नाम पर ठगी।

9- फ्री इन्टरनेट, रिर्चाज, आनलाइन मूवी चैनल पर पंजीकरण के नाम पर ठगी।

10- सरकारी योजनाओं में सब्सिडी के नाम पर

11- वाहन पास के नाम पर ठगी।

12- मेडिकल एक्सपर्ट की जानकारी देने के नाम पर ठगी।

13- किसी के साथ भी फोन पर या प्राप्त लिंक पर अपने बैंक खाते की जानकारी जैसे PIN, OTP, CVV, MPIN,UPI कार्ड डिटेल्स आदि साझा न करें।

14- साइबर ठग रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक छोटी राशि जमा कराने का लालच देकर आपसे आपके बैंक डिटेल्स प्राप्त कर सकता है।

15- आपके साथ कोई फ्राड हो जाये तो उसकी जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन पर दें।

16- वाराणसी पुलिस आपकी मदद के लिये सदैव तैयार है।

कुछ लोग कोविड आपदा को अपना अवसर समझकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुये उनके Digital Platform के माध्यम से आर्थिक हानि पहुँचा रहे हैं। इससे जनता को जागरूक कर प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। प्रेस/मीडिया के माध्यम से मैं पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी आम जानमानस से अपील करता हूँ कि कोई भी ऑनलाइन खरीददारी/Transactions करते समय उपरोक्त बातों का पूर्णतः ध्यान रखें।

सोशल मीडिया सेल

पुलिस आयुक्त,

वाराणसी।